रहा है। महोदय, एक बड़ी समस्या यह है कि maintenance के लिए अभी कोई provision नहीं किया गया है और जून, 2016 के एक सर्वे में यह बताया गया है कि 8 राज्यों के सर्वेक्षण से यह पता चला कि केवल 3 राज्यों में maintenance के लिए provision किया गया है और आज तक जो 4,77,842 किलोमीटर्स लम्बाई के रास्ते बने हैं, उनमें से 70 प्रतिशत रास्ते maintenance के लिए अगले वर्ष से due हो रहे हैं। इस का मतलब यह है कि 7000 करोड़ रुपए का provision सिर्फ maintenance के लिए करना पड़ेगा। इसलिए इस कार्य का provision बढ़ाना और उसका पूरी तरह से implementation करना निहायत ही जरूरी है।

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वह अपने स्थान पर उचित ही है। जब प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की परिकल्पना माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में की गयी थी, उस समय इन सारी चीजों पर काफी दूरगामी ढंग से विचार किया गया था। महोदय, मुझे ध्यान है कि उस दौरान भी मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला और उसी समय इस योजना का ठीक ढंग से क्रियान्वयन हो, इस की गुणवत्ता ठीक प्रकार की हो, इसका monitoring system ठीक प्रकार का हो और इसके परिणाम ठीक प्रकार से जनहित में आएं, इस बात की चिंता केंद्र सरकार को थी।

श्री सभापतिः उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए क्योंकि समय कम है।

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः सर, मैं वहीं कह रहा हूं। उसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को आग्रह किया था कि वे इसके लिए एक corpus का निर्माण करें और यह भी सुझाव दिया गया था कि कृषि उपज मंडियों से जो पैसा आता है, उसका कोई एक निश्चित सेस इकट्ठा कर के उसे ग्रामीण सड़कों के maintenance के लिए रखा जाए। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ राज्य उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने उस ओर अभी ध्यान नहीं दिया है। पिछले दिनों हम लोग सभी राज्यों के सचिवों के साथ बैठे थे, हमने उस समय भी उनसे आग्रह किया था कि PMGSY फेज-2 में अपग्रेडेशन पर भारत सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे रही है और आने वाले कल में हम 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने वाले हैं, लेकिन maintenance की दृष्टि से मैं राज्यों से भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।

नीलगायों की हत्या

*4. **श्री मोती लाल वोराः** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय की अनुमति से बिहार में दो सौ नीलगायों की गोली मारकर हत्या की गई है;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जंगली जीवों से होने वाली असुविधा का समाधान केवल उनकी हत्या कर देना ही है;

(घ) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में चले आने वाले जंगली जीवों के बंध्याकरण और उन्हें पुनः जंगल में छोड़ने के संबंध में कोई नीति बनायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनिल माधव दवे): (क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) मंत्रालय ने जंगली जीवों को मारने के लिए कोई अनुमति नहीं दी है। तथापि, नीलगाय (बोसेलाफस ट्रेगोकामेलस) को वन्योजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-III से हटाकर अनुसूची-V में सूचीबद्ध करने के बिहार सरकार के अनुरोध पर मंत्रालय ने अधिसूचना सं. का.आ. 3318 (अ), दिनांक 1.12.2015 के द्वारा इस अधिनियम की धारा 62 के अनुरूप नीलगाय को एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुसूची-V में सूचीबद्ध किया है।

(ख) वनों के बाहर के क्षेत्रों में आकर समस्या उत्पन्न करने वाले जंगली जीवों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-V में शामिल करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

राज्य	अनुसूची-V में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित जंगली जीव
बिहार	नीलगाय और जंगली सुअर
हिमाचल प्रदेश	रीसस मकाक
उत्तराखंड	जंगली सुअर
महाराष्ट्र	नीलगाय और जंगली सुअर
गुजरात	नीलगाय

(ग) मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जीवों को अन्यत्र ले जाकर उनकी संख्यात का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना, जीवों के प्रजनन को नियंत्रित करना, बाड़ों का निर्माण करना, पर्यावासों में सुधार करना, निवारकों का प्रयोग करना इत्यादि शामिल हैं। किसी जीव को सीमित अवधि के लिए हिंसक जीव घोषित करना वनों से बाहर के कुछ क्षेत्रों में उनकी अत्याधिक आबादी से निपटने की कार्रवाई मात्र है।

केंद्र सरकार द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, वनों में जंगली जीवों के पर्यावासों में सुधार तथा संरक्षण के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास,' 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों को आंशिक केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन तथा आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) की वित्तीय सहायता से 'संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में चारे और पानी के संवर्धन के लिए' राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने की एक स्कीम बनाई है जिसका उद्देश्य जंगली जीवों के लिए घास, चारा और पानी के संवर्धन की व्यवस्था करके, इन क्षेत्रों में पर्यावासों का सुधार करना है जिसके कारण भोजन और पानी की तलाश में जंगली जीवों के वनों के बाहर आने की

घटनाएं कम होंगी जिनसे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।

(घ) और (ङ) वन्यजीवों का प्रबंधन मूलतः संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मंत्रालय इस संबंध में समय-समय पर राज्यों को एडवायजरी जारी करता है। राज्यों को नवीनतम व्यापक एडवायजरी 1 जून, 2015 को जारी की गई थी जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के उपाय सुझाए गए थे।

Killing of Nilgais

†*4. SHRI MOTILAL VORA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 200 Nilgais have been shot dead in Bihar with the approval of the Ministry;

(b) whether such requests have also been received from some other States and if so, the details thereof;

(c) whether the killing is the only solution to the inconvenience caused by wild animals;

(d) whether Government would formulate any policy of sterilization of wild animals coming to urban areas and leaving them in jungles; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (SHRI ANIL MADHAV DAVE): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Ministry has not given any permission for culling of wild animals. However, in response to the request from the State Government of Bihar to shift Nilgai (*Boselaphus tragocamelus*) from Schedule-III to Schedule-V of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Ministry had listed Nilgai in Schedule-V in accordance with section 62 of the Act, for a period of one year in the specified areas *vide* notification S.O. 3318(E) dated 1.12.2015.

(b) The details of proposals received from various State Governments to include problematic wild animals in Schedule V of the Wild Life (Protection) Act, 1972, in the areas outside forests, are given below:

† Original notice of the question was received in Hindi.

State	Wild animals proposed to be included in Sch. V
Bihar	Nilgai and Wild pig
Himachal Pradesh	Rhesus Macaque
Uttarakhand	Wild pig
Maharashtra	Nilgai and Wild pig
Gujarat	Nilgai

(c) State Governments utilize the powers vested with them under Wild Life (Protection) Act, 1972 to mitigate human wildlife conflict that *inter alia* include scientific management of population by translocation of animals, fertility control of animals, construction of barriers, improvement of habitat, use of deterrents etc. Declaration as vermin for a limited period is a response only for dealing with over population in some areas, outside forests.

Central Government provides partial Central assistance under the Centrally Sponsored Schemes of 'Integrated Development of Wildlife Habitats', 'Project Tiger' and 'Project Elephant' to the States *inter alia* for habitat improvement and conservation of wild animals in the forests. In addition to this, Ministry, with financial assistance from Ad-hoc Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA), has formulated a scheme to provide assistance to the States for 'Augmentation of Fodder and Water in Protected areas/Forest Areas', aimed at improving habitat in the areas by making provision for augmenting grass, fodder and water to the wild animals which would decrease the frequency of wild animals coming out of forest in search of food and water leading to conflict situations.

(d) and (e) Management of wildlife is primarily the responsibility of respective State Governments. Ministry has issued advisories in this regard to the States from time to time. Latest comprehensive advisory to the State was issued on 1st June, 2015, suggesting formulation of strategy for management of Human Wildlife Conflict.

श्री मोती लाल वोराः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने नीलगायों को मारने की कोई अनुमति नहीं दी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने बिहार में 200 नीलगायों को मारने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन उससे भी कठिन और क्रूरतापूर्ण कार्य किया। आपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-3 से हटाकर अनुसूची-5 में सूचीबद्ध करने के बिहार सरकार के अनुरोध को माना। माननीय सभापति महोदय, अनुसूची-3 से निकालकर अनुसूची-5 में इसे देने का मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार

को आपने एक साल के लिए पूरी छूट दे दी कि वे नीलगायों को मारें। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ने जो advisory राज्य सरकारों को भेजी, क्या उन राज्य सरकारों ने उसका पालन किया या अंतिम रूप से उन्होंने आपके केवल गोली मारने के आदेश का ही पालन किया?

श्री अनिल माधव दवेः सभापति महोदय, राज्य सरकारों ने जो आवदेन किए थे — आपने बिहार के संदर्भ में विशेषकर जो प्रश्न पूछा है कि वहां के 31 ज़िलों में नीलगाय से और 10 ज़िलों में सूअर प्रजाति से किसानों को जो पीड़ा हो रही थी, उसके आधार पर राज्य सरकार ने गत दिसंबर में जो एडवाइज़री जारी की है, जो पत्र लिखा है, उसके अंदर मनुष्य और पशु के बीच में जो संघर्ष है, जिसके मैनेजमेंट के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, उसमें "गोली मारने" जैसा कोई सुझाव, कोई पंक्ति, कोई वाक्य प्रयुक्त नहीं है। एक शब्द, जो प्रयोग हुआ है, वह अंग्रेज़ी का 'vermin' शब्द है। यह शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, ताकि वह श्रेणी "3" से श्रेणी "5" के बीच में चला जाए। हमें राज्य सरकारों पर यह भरोसा रखना ही होगा, क्योंकि वे चुनी हुई सरकारें हैं, कि वे इस प्रबंधन के अंदर इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगी कि किस प्रकार से बाकी अन्य नियमों का पालन हो सके। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि कुल पांच राज्यों ने इसके लिए आवेदन किए थे। उन पांचों राज्यों ने पूरे साल भर उसका विशेष रूप से प्रयोग किया। उन्होंने भी मारने का कोई आदेश नहीं दिया है। दिसंबर में यह एडवाइजरी एक साल पूरा करेगी और हम इसका अध्ययन करके इसके ऊपर पुनः क्या हो सकता है, उस पर विचार करेंगे।

श्री सभापतिः दूसरा प्रश्न।

श्री मोती लाल वोराः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से पूछा था कि आपने अनुसूची "3" से अनुसूची "5" में डालने के बाद उन्हें पूरा अधिकार दे दिया। आपने पांच राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात के बारे में कहा है। माननीय सभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखा है कि नीलगाय, सूअर या ऐसे जितने भी जानवर हैं, इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं। जंगल से बाघ या सूअर गांव में, शहर की ओर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी, क्या आपने उन बातों की तरफ ध्यान दिया है? आपके द्वारा केवल एडवाइज़री जारी करने के साथ-साथ अनुसूची "3" से अनुसूची "5" में डालने का मतलब है कि एक साल के लिए उन्हें छूट दे दी गई है कि आप उन्हें मारो। प्रकृति के साथ हम किस प्रकार का खिलवाड़ करते रहे हैं, यह जाहिर है, क्योंकि जानवरों की संख्या कम हो रही है। वन्य जीव, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आज किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आपकी कोई योजना नहीं है, लेकिन आपने इतना अवश्य कर दिया है कि हम इस पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका यह विचार कहीं वन्य जीवों को समाप्ति की ओर तो नहीं ले जाएगा?

श्री अनिल माधव दवेः सभापति जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर वन्य जीवों की संख्या घट नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है। विशेषकर ये जो तीन श्रेणियां हैं —

1.00 P.M.

नीलगाय, सूअर और विशेष प्रजाति के बंदर, जिनके कारण उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के किसान बहुत परेशान रहते हैं, इन तीनों श्रेणियों के लिए "हत्या" का कोई आदेश केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह भारत देश है, यह बापू का देश है, इसलिए "अनिवार्य हिंसा" और "आवश्यक क्रोध" नाम का कोई प्रपत्र इस देश के अंदर कभी भी जारी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है ...(**व्यवधान**)... मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब हम वन्य जीव संरक्षण के संबंध में विचार करेंगे तो हमें उस दो बीघा जमीन के हकदार किसान का भी विचार करना चाहिए, जिसकी लहलहाती फसल शाम के समय, जब वह घर लौटता है तो उसे जवान देखता है, लेकिन जब सुबह लौटता है तो उजड़ जाती है। ऐसा लगता है कि जवान बेटा या जवान बेटी संसार से चली गई हो। हमें उस दो बीघा जमीन के मालिक किसान पर जरूर विचार करना चाहिए।

श्री मोती लाल वोराः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने "गोली मारने" के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन 200 नीलगायों को गोली से मारा गया है, क्या आप यह बात स्वीकार नहीं करते हैं? बिहार के अंदर आपकी अनुमति देने के बाद 200 नीलगायों को गोली से उड़ाया गया, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी नहीं रखते हैं?

MR. CHAIRMAN: 'Yes' or 'No'?

श्री अनिल माधव दवेः सभापति जी, इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है और बिहार सरकार ने भी कोई आदेश नहीं दिया है। जिस टी.वी. रिपोर्ट के आधार पर आप कह रहे हैं, वह एक अलग विषय है, इसके अंदर शासन की या प्रशासन की व्यवस्था कहीं नहीं है।

MS. DOLA SEN: Sir, I have a specific question. There is a provision in the Wildlife Protection Act that wild animals may be relocated to National Parks or forests, if required.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

MS. DOLA SEN: My question is: Why did the permission for killing of more than 200 nilgais was accorded without exploring the possibilities of relocating the poor creatures to National Parks or forests?

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question Hour is over. The House is adjourned till 2.00 p.m.